मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके लिए निम्नानुसार अस्थायी पदों की आवश्यकता होगी–

स.क.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
वानिकी प्रोफेसनल्स पद			
1	संचालक	1	18400-500-24000
2	अपर संचालक	1	16400-450-20000
3	संयुक्त संचालक	1	12000-375-16500
4	सहायक संचालक	1	8000-275-13500
5	वनक्षेत्रपाल	1	5500-175-9000
6	वनरक्षक	5	3050-75-3950-80-4590
	योग	**10**	
वैज्ञानिक पद			
1	वैज्ञानिक 'एस.सी.'	3	10000-325-15200
2	वैज्ञानिक 'एस.बी.'	6	8000-275-13500
	योग	**9**	
तकनीकी पद			
1	सहायक लाइब्रेरियन	1	5500-175-9000
2	तकनीकी सहायक(वा.अनु.)	3	5500-175-9000
3	लैब टेक्नीशियन (वा.अनु.)	2	4500-125-7000
4	सांख्यिकी सहायक	1	5500-175-9000
5	सहायक प्रोग्रामर	1	5000-150-8000
6	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (वा.अनु.)	6	3050-75-3950-80-4590
7	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सामा.आर्थिकी)	2	3050-75-3950-80-4590
8	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (विस्तार एवं प्रशिक्षण)	1	3050-75-3950-80-4590
9	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय)	1	3050-75-3950-80-4590
10	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (प्रलेख्य)	1	3050-75-3950-80-4590
11	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (लैब)	4	3050-75-3950-80-4590
12	लेजर सहायक(पुस्तकालय)	1	4500-125-7000
13	हरबेरियम सहायक	1	3050-75-3950-80-4590
14	फील्ड असिस्टेंट	3	3050-75-3950-80-4590
15	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4	3500-80-4700-100-5200
	योग	**32**	
गैर तकनीकी पद			
1	अधीक्षक	1	5500-175-9000
2	सहायक ग्रेड–1	2	4500-125-7000
3	शीघ्रलेखक–1 (अंग्रेजी)	1	4500-125-7000

4	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	1	4500-125-7000
5 6	लेखापाल सहायक ग्रेड-2	1 2	4000-100-6000 4000-100-6000
7	सहायक ग्रेड-3	3	3050-75-3950-80-4590
8	स्टेनोटायपिस्ट	1	3050-75-3950-80-4590
9	वाहन चालक	3	2610-3540
10	भृत्य/अर्दली	7	2550-55-3200
11	चौकीदार	3	2550-55-3200
	योग	**25**	
	कुलयोग	**76**	

उक्त पदों एवं अनुषांगिक व्यय पर रूपये 137.65 लाख का व्यय संभावित है । संस्थान के संचालन हेतु एक मिनी बस, एक कार एवं एक जीप हेतु नवीन व्यय के मद के रूप में 16.00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,37,65,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन द्वारा भू गर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने, वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु ''भू एव जल संरक्षण योजना'' लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 250.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,50,00,,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य मार्गो, जिला मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण मार्गो के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 200.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्र में बांस उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु बांस वनों के पुनरोद्धार की योजना लागू करने का निश्चय किया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 200.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 5

बिलासपुर जिले में कानन पेण्डारी चिड़ियाघर के विस्तारण एवं निर्माण कार्य हेतु रूपये 150.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 6

राज्य में वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु योजनाओं के अनुश्रवण एवं क्रियान्यन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है । वर्ष 2007-08 में रूपये 100.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4406

मद कमांक 7

वन विभाग के अंतर्गत कार्यालयीन भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 में रूपये 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 8

एकीकृत वन सुरक्षा योजनांतर्गत 08 नवीन वाहन कय करने हेतु रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा भू गर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने, वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु भू एव जल संरक्षण योजना' लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 300.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

छत्तीसगढ़ में लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु 'लाख विकास योजना' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । इस पर इस वर्ष रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4406

मद कमांक 3

वन विभाग के अंतर्गत कार्यालयीन भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 में रूपये 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 20,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 4

नक्सली प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में कार्यरत वन विभाग के कर्मचारियों के लिए 25 सीटर हॉस्टल के निर्माण पर इस वर्ष रूपये 60.00 का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 5

राज्य के वन क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण हेतु रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति उप क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य मार्गो तथा जिला मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण मार्गो के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 200.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति उप क्षेत्र में बांस उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु बांस वनों के पुनरोद्धार की योजना लागू करने का निश्चय किया गया है । इस पर वर्ष 2007-08 में रूपये 200.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में रूपये 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।